न्यायालय परगनाधिकारी, झांसी

वाद संख्या- 9/04-05 धारा-143 ज0वि0एक्ट
मौजा- अम्बाबाय परगना तहसील व जिला झांसी ।
पं0 दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा ट्रस्ट अम्बाबाय बनाम उ0प्र0 सरकार

आदेश दिनांक 29-1-05

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज0वि0एक्ट के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा ट्रस्ट अम्बाबाय झांसी अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार राय तनय नारायन राय निवासी सिविल लाइन्स झांसी द्वारा उ0प्र0 सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त संस्थान जिसका वह अध्यक्ष व ट्रस्टी है की भूमिधरी आराजी स्थि0 मौजा अम्बाबाय तहसील व जिला झांसी के खाता संख्या 392 के गाटा संख्या 209/0.575हे0,210क/1.631हे0211क/1.973हे0212क/0.874,214क/1.187,239क/0.565,240/0.268हे0243क/0.427,246/0.119,543/1.463,547/2.203हे0,548/0.652हे0,551/1.117 व 552/0.655हे0 कुल 14 किता रकबा 14.107हे0 पर काबिज व दखील है ।

उपर्युक्त आराजी पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा संचालित कालेज आफ साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग सीपुरी मौजा अम्बाबाय में स्थित इंजीनियरिंग की पांच शाखायें एवं एम बी ए, ए0आई0सी0टी0ई0 गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के द्वारा सत्यापित तथा उ0प्र0 टेक्नीकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से सम्बद्धता प्राप्त कालेज संचालित हैं । उपरोक्त आराजी पर उक्त कालेज के भवन बने हुए हैं तथा अन्य आराजी पर भवन बनने जा रहे हैं ।उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पर कालेज के अध्ययन हेतु प्रयोगशालायें, होस्टल, क्रीडा स्थल एवं भवनों का निर्माण हो रहा है और तथा कुछ पर हो चुका है ।उक्त आराजी पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही कोई फसल बोयी जा रही है। उपरोक्त ट्रस्ट के सही कार्य के लिए जो कि राजस्व न्यायालय तक ही सम्बन्धित है प्रार्थी की ओर से पावर आफ अटोर्नी श्री एस0के0 भटनागर को नियुक्त किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ हुई अध्यक्ष श्री रविन्द्र शुक्ल द्वारा नियुक्ति पत्र एवं पावर आफ अटार्नी के अध्यक्ष व तहसीलदार द्वारा प्रमाणित उपरोक्त आराजी पर भूखण्ड निर्माण किये जाने की अनापत्ति प्रमाण पत्र व असल खतौनी प्रस्तुत की गई प्रार्थी द्वारा अन्त में उपर्युक्त वर्णित आराजी को अकृषिक क्षेत्र एवं आवासीय भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार झांसी से जाँच आख्या प्राप्त की गई । जिस पर तहसीलदार झांसी ने जाँच आख्या दिनांक 6-1-2005 प्रस्तुत की तथा आख्या में उल्लेख किया है कि मौजा अम्बाबाय के खाता संख्या 392 के कुल 14 किता रकबा 14.107हे0 पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित कालेज आफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग का भवन बना है । कुछ भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है । शेष भूमि बंजर खाली पड़ी है । प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य तथा इससे संबंधित कार्य नहीं होता है । उक्त आराजी को धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति भी की है ।

तहसीलदार की आख्या पर प्रतिवादी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की तथा कथन किया कि आख्या में यह अंकित नहीं है कि किस नम्बर के कितने रकबे पर भवन बना है तथा कितने रकबा पर कृषि नहीं होती है ।

प्रस्तुत आपत्ति पर तहसीलदार झांसी से पुनः स्पष्ट आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुपालन में तहसीलदार झांसी की जाँच आख्या दिनांक 27-1-05 प्राप्त हुई । आख्या में उल्लेख किया है कि भूमि नम्बर 209/0.575,210क/1.631, 211क/1.973,212क/0.874,239क/0.565,240/0.668,243/0.427 व 246/0.427हे0 रेलवे लाइन के दूसरी ओर स्थित है । उक्त सभी नम्बरानों पर कोई खेती नहीं होती है । बंजर पड़ी है । भूमि नम्बर 547 रकबा 2.203हे0 भूमि पर मौके पर कुछ भाग में पिलर बना कर निर्माण है तथा शेष रकबा तार की